पाठक, पिता–श्री

<u>लोक सुनवाई का वृत।</u>

मेसर्स भुवनेश्वर पाठक कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, निदेशक–श्री भुवनेश्वर पाठक, पिता–श्री श्याम राज पाठक, पता–सगुना मोड़, गाँधी मूर्त्ति, दानापुर कैंट, पटना द्वारा भोजपुर सोन नदी स्थित "सैंड ब्लॉक–17" बालू घाट मौजा–त्रिकौल और संदेश, पोस्ट+ब्लॉक–संदेश, जिला–भोजपुर के अन्तर्गत परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के तहत् दिनांक 31.05.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे संदेश प्रखण्ड सभागार, संदेश जिला–भोजपुर में लोक सुनवाई की गयी।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना सं0–एस.ओ. 1533, दिनांक 14 सिम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् राज्य स्तरीय पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार के द्वारा निर्गत TOR File.No.SIA/1(a)/2078/2022, dated 11.01.2023 के आलोक में श्री सुनील कुमार पाण्डेय, निदेशक, जिला ग्रामीण विकास पदाधिकारी, भोजपुर (जिला पदाधिकारी, भोजपुर के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, द्वारा दिनांक 31.05.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे संदेश प्रखण्ड सभागार, संदेश, भोजपुर में लोक–सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न **(अनुलग्नक–1)**

इस लोक–सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा दैनिक भास्कर, प्रभात खबर, हिन्दुस्तान टाइम्स एवं टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम से दिनांक 28.04.2023 को प्रकाशित की गयी थी **(प्रतिलिपि संलग्न)**। लोक–सुनवाई के दौरान श्री आशीष कुमार गुप्ता, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पटना द्वारा लोक–सुनवाई में उपस्थित जन–समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक–सुनवाई की पृष्ठ–भूमि पर प्रकाश डाला गया। लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उद्देश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव/विचार/मंतव्य माँगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमीत कुमार ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट पर्यावरण जिम्मेदारी (Corporate Environmental Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा । वाहनों पर ओवरलोडिंग नही की जायेगी। वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भू–जल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में

वृक्षारोपण (200 नं0)का कार्य किया जायेगा। बालू खनन के दौरान पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के Sutainable Sand Mining Management Guidelines 2016 (SSMG-2016) एवं Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining-2020 (EMGSM-2020) के प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तुततिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवतः हैः–

कमांक	नाम एवं पता	प्रतिकिया/सुझाव
1.	श्री राजेश प्रसाद, पिता– श्री मिर्जा साहू, ग्राम–त्रिकौल, जिला–भोजपुर।	इनके द्वारा बताया गया कि ट्रैफिक जाम से काफी परेशानी होता है। सड़क पर बालू गिरने से दूर्घटना होती है। उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि आम जनता के लिए अलग से वैकल्पिक सड़क का निर्माण कराया जाय।
2.	श्री रोहित कुमार, पिता–श्री राधानन्द यादव, ग्राम–त्रिकौल, जिला–भोजपुर।	इनके द्वारा बताया गया कि खनन होने से रोजगार प्राप्त होते हैं, बहतु लोगा को आमदनी होती है, इसलिए बालू खनन होना चाहिए।
3.	श्री सुधीर कुमार सिंह, पिता–स्व0 भोला सिंह, संदेश, जिला–भोजपुर।	इनके द्वारा बताया गया कि खनन करने से भू–जल स्तर नीचे चला जाता है। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि खनन 3 मीटर तक या भू–जल के ऊपर ही किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया कि भू–जल स्तर नीचे जाना राष्ट्रीय/राज्य स्तर की समस्या है। सरकार द्वारा इसके लिए कार्य किया जा रहा है। मानसून आने के बाद भू–जल स्तर ऊपर आ जाता है।
4.	श्री रंजीत सिंह, पिता–अशोक कुमार सिंह, ग्राम–अखगाँव, जिला–भोजपुर।	इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गये प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरणीय संरक्षण के उपायों को शत्–प्रतिशत सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
5.	श्री अभिषेक कुमार सिंह, पिता–श्री सीता सिंह, ग्राम–त्रिकौल , जिला–भोजपुर।	इनके द्वारा पूछा गया कि घाट से मुख्य सड़क तक रास्ता कौन बनाता है। पेड़ अधिक लगाया जाय। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि अगर पहले से सड़क है तो उसका उपयोग होता है। नहीं

		रहने पर संवेदक द्वारा रैयत भू–मालिक के सहमति से सड़क बनाया जाता है। आबादी के बीच रास्ता नहीं बनाया जाता है। 200 पेड़ लगाने का प्रस्ताव है। इसके अलावे भी ग्रामीणों की मांग करने पर उनको मुफ्त में पौधा उपलब्ध कराया जायेगा।

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि वाहनों से बालू ले जाने के क्रम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेगें एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ही ले जायेगें। बालू की खुदाई 3 मीटर ही करेगें। उन्होने उम्मीद जताया कि इकाई प्रबंधन द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

उन्होंने कम–से–कम 500 पेड़ लगाने का सुझाव दिये। पौधो का रख–रखाव स्थानीय ग्रामीण के द्वारा ही सुनिश्चित कराया जाय।

उनके द्वारा बताया गया कि अगर काम प्रारंभ होगा तो समस्या आयेगी। संवेदक से मिलकर समस्या का निराकरण सुनिश्चित करायें। लाभ तभी मिलेगा जब सकारात्मक सोच रखेंगे। गाँव की अर्थ–व्यवस्था में भागीदारी बनें। जिला प्रशासन के साथ–साथ गाँव के लोग भी अनुपालन सुनिश्चित करायें।

जन–सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सर्वसम्मति से बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

5-6-23

क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्षद,पटना

निदेशक,
जिला ग्रामीण विकास पदाधिकारी
भोजपुर

उपस्थिति सूची

मेसर्स भुनेश्वर पाठक कंट्रक्शन प्रा० लि०, निदेशक-श्री भुनेश्वर पाठक द्वारा सोन नदी स्थित ''सैंड ब्लॉक 17'' बालू घाट, मौजा-त्रिकौल एवं संदेश, ब्लॉक-संदेश, जिला-भोजपुर में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूचीः

स्थान - प्रखण्ड सभागार संदेश, दिनांक 31.05.2023 समय:- 11:00 A.M.

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	सुनील कु० पाण्डेय	निदेशक, डी०आर०डी०ए०, भोजपुर	[signature] 31/5/23
2.	आशीष कुमार गुप्ता	सीनियर पदाधिकारी, बि०रा०प्र०प० नि० पर्षद, पटना	[signature] 31-5-23
3.	चन्दन कुमार आनन्द	खान निरीक्षक जिला खनन कार्यालय भोजपुर	Chandan Kumar Anand 31/05/23
4.	अमित कुमार	कार्यपालक पदाधिकारी संदेश	[signature] 31/5/23
5.	Amit K.	M/S Ocean Envi Pvt Ltd. Management Solution	[signature] 31/5/2023
6.	कुमार अभिषेक	ग्राम पो० - आरा भोजपुर	Kumar Abhishek 31/05/23
7.	मुन्ना कुमार	ग्राम-त्रिकौल पो०-संदेश भोजपुर	Munna Kumar
8.	गोलू कुमार	ग्राम+पो० - संदेश	Golu Kumar
9.	अलोक सिंह	- अटौला -	Alok Kumar
10.	वीरेन्द्र कुमार सिंह	ग्राम त्रिकौल संदेश	[signature]
11.	अमित कुमार	ग्राम - त्रिकौल संदेश भोजपुर	[signature]
12.	विवेक सिंह	ग्राम - नारायणपुर संदेश भोजपुर	Vivek Singh

13.	Ranjeet Kumar Singh	Village Akhgaon Bhojpur	R.K.S 31/05/23
14.	दीपक कुमार	त्रिकौल	Deepak Kr.
15.	मिन्टू सिंह	त्रिकौल	मिन्टू सिंह
16.	सुधीर सिंह	सन्देश	[signature]
17.	Avinash Kumar	Sandesh	Avinash Kr
18.	Bhola Singh	Sandesh	[signature]
19.	राजेन्द्र प्रसाद	त्रिकौल	[signature]
20.	विकास सिंह	[illegible] त्रिकौल	B.K. Singh
21.	Arun	सन्देश	Arun
22.	Manoj Kumar Lal	नारायणपुर	M.R. [signature] 31/05/23
23.	अमीत सिंह	नारायणपुर	[signature] 31/5/23
24.	मदन कुमार	नारायणपुर	Madan K 31/5/23
25.	सुशील कुमार	सन्देश	31/5/23
26.	चन्द्रभूषण सिंह	तीर्थकौल	31/5/23
27.	मन्टू कुमार सिंह	नयकौल	[signature]

28.	ग्यानेन्द्र कुमार	तिर्थकौल	Gyander Kum
29.	Praveen K. Roy	EPA Consultant	Pawan
30.	Chandan tiwari	Sandesh	chandan tiwari
31.	Kundan Singh	Trithkoul	Kundan Singh
32.	Sanjeev singh	Tirthkaul	Sanjeev Singh
33.	Chandan	Tirthkoul	[illegible]
34.	Rohit Kumar	Hesaatee	Rohit
35.	Ritesh Singh	~~[illegible]~~ Sandesh	R Singh
36.	Ritik Raj	Sandesh	[illegible]
37.	Ashish Kumar	Tirthkoul	[illegible]
38.	Uday	Trikoul	[illegible]
39.	Vishkash Singh	Sandesh	[illegible]
40.	Abhishek	Sandesh	[illegible]
41.			
42.			